राफेल में पीएसी और सीएजी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में झूठ किसने बोला ?

बड़ा सवाल.. चौकीदार चोर नहीं तो जांच से क्यों भाग रही है सरकार...

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतरविरोधों का पिटारा हो गया है। कहीं तथ्यात्मक गल्ती है तो कहीं कोर्ट की सीमाएं और कहीं कुछ ऐसी गल्तियां की गयी हैं जिनका कोई आधार तलाश पाना भी किसी के लिए मुश्किल है। कोर्ट ने दो बातें मुख्य तौर पर कही हैं। पहला ये कि राफेल की खरीद में प्रक्रियागत नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। साथ ही कीमतों के मामले में कोर्ट ने कहा है कि उसके डिटेल में जाना और उसका तुलनात्मक अध्ययन करना उसका काम नहीं है। ऐसे में एक बात बिल्कुल साफ हो गयी है कोर्ट ने सरकार को किसी तरह की क्लीन चिट नहीं दी है।

लेकिन कोर्ट के फैसले में जिस तरह की तथ्यात्मक गल्तियां सामने आयी हैं शायद ही इसकी कोई दूसरी मिसाल मिले। और सबसे खास बात ये है कि इन गल्तियों में दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को भी शामिल कर लिया गया है।

याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने इन गल्तियों को सिलसिलेवार तरीके से पेश किया है।

कोर्ट ने अपने पैरा नंबर 25 में कहा है कि हालांकि कीमतों का विवरण कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (इसके बाद इसे सीएजी कहा जाएगा) और सीएजी की रिपोर्ट का पब्लिक एकाउंट्स कमेटी (इसके बाद इसे पीएसी कहा जाएगा) द्वारा परीक्षण किया गया था। और रिपोर्ट के केवल एक हिस्से को संसद के सामने पेश किया गया था और वो सार्वजनिक रूप से मौजूद है।

जबकि सच्चाई ये है कि सीएजी की इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। और अगर रिपोर्ट ही नहीं है तो पीएसी में उसे पेश किए जाने का सवाल ही कहां उठता है। प्रशांत भूषण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि ऊपर जो तथ्य दिए गए हैं वो न तो रिकार्ड में हैं और न ही तथ्यात्मक तौर पर सही हैं। सीएजी रिपोर्ट पीएसी में नहीं पेश की गयी है। और सीएजी रिपोर्ट का भी कोई हिस्सा संसद में नहीं पेश किया गया है। और न ही सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसा मौजूद है।

निश्चित तौर पर ये तथ्यात्मक रुप से गलत बयान है जो सरकार द्वारा कोर्ट को दी गयी किसी सूचना (जो रिकार्ड में नहीं है और न ही याचिकाकर्ताओं को दी गयी है) पर आधारित है। कोर्ट ने ऐसी सूचना पर विश्वास किया जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ये इस बात को दिखाता है कि सीलबंद लिफाफे में सरकार द्वारा कोर्ट को दी गयी सूचना और उसके आधार पर सुनाया गया फैसला कितना खतरनाक हो सकता है। खास बात ये है कि आज ही पीएसी के चेयरमैन और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जन खड़गे ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट पीएसी के सामने नहीं आयी है।

कोर्ट ने इसी पैरा में आगे इस बात का जिक्र किया है कि एयरफोर्स के चीफ ने कीमतों के विवरण का खुलासा करने के मामले में अपनी असमर्थता जाहिर की थी क्योंकि उससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रशांत भूषण का कहना है कि ये कथित तथ्य भी रिकार्ड में दर्ज नहीं है। और ये नहीं समझा जा सका कि कोर्ट ने ये कैसे और कहां से हासिल किया। कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि खरीद की प्रक्रिया और कीमतों के बारे में उसने एयरफोर्स के अधिकारियों से पूछताछ की थी।

वक्तव्य में कहा गया है कि ये भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। क्योंकि एयरफोर्स के अधिकारियों से कोर्ट ने केवल राफेल एयरक्राफ्ट के तीसरे, चौथे और पांचवें जनरेशन के बारे में पूछा था और आखिरी खरीद कब हुई थी ये पूछा था। न तो उनसे खरीद की प्रक्रिया और कीमतों के बारे सवाल किया गया था और न ही उन्होंने इस पर कुछ बोला था। कम से कम सुनवाई के दौरान इस तरह का कुछ नहीं हुआ था।

कीमतों के बारे में कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हमने नजदीक से कीमतों के विवरण का परीक्षण किया है.....जहां तक कीमतों के विवरण की बात है जवाब देने वाले अधिकारियों का दावा है कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट की खरीद में एक व्यवसायिक लाभ है। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि आईजीए (इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट) के तहत रखरखाव और हथियारों के पैकेज में कुछ बेहतर शर्तें हैं। निश्चित तौर पर ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो मौजूदा मामले में कीमतों के विवरण की तुलना में जाए। इस पर हम कुछ और ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि मामले को एक गोपनीय दायरे में रखा जाना है।

प्रशांत भूषण समेत बाकी दोनों नेताओं द्वारा जारी बयान में इस पर कहा गया है कि कोर्ट ने हम लोगों द्वारा मुहैया कराए गए इस तथ्य पर भी गौर करना जरूरी नहीं समझा जिसमें हम लोगों ने बताया था कि बेंचमार्क कीमत को अचानक 5.2 बिलियन यूरो से बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो कर दिया गया था। जबकि कीमतों पर विचार करने वाली कमेटी में बैठे तीन विशेषज्ञ अफसरों ने उसका विरोध किया था। जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था। दिलचस्प बात ये है कि इस मसले पर कोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया है जिस तथ्य के बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं गया और वो मौजूद भी नहीं है।

तथ्यात्मक गल्तियों का सिलसिला यहीं नहीं खत्म हुआ। आफसेट मामले को कोर्ट के फैसले में इस तरह से पेश किया गया है जिसको देखकर कोई भी दांतों तले अंगुली दबा लेगा। आफसेट मामले में अंबानी की कंपनी के बारे में कोर्ट का कहना है कि इसे डसाल्ट द्वारा तय किया जाना था जो रिलायंस कंपनी के साथ 2012 से ही बातचीत कर रही है। जबकि सच्चाई ये है कि डसाल्ट जिस रिलायंस कंपनी के साथ बातचीत कर रही थी वो मुकेश अंबानी की कंपनी है न कि अनिल अंबानी की जिसके साथ डसाल्ट का आफसेट समझौता हुआ है। अनिल अंबानी ने अपनी नई कंपनी को 2015 में हुई डील से कुछ ही दिनों पहले बनाया था। साथ ही प्रशांत भूषण के बयान में कहा गया है कि कोर्ट ने आफसेट मामले में भी इस बात को दरकिनार कर दिया कि प्रत्येक आफसेट को आखिरी तौर पर रक्षामंत्री द्वारा पास किया जाएगा।

इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी रूप में सरकार को किसी तरह का क्लीन चिट नहीं है। क्योंकि कोर्ट उसकी डिटेल में गया ही नहीं। उसने केवल प्रक्रियागत मुद्दों की छानबीन की। हालांकि उसमें भी जिस तरह की तथ्यात्मक गल्तियां सामने आ रही हैं उससे भी वो सवालों के घेरे में आ जाता है। और कीमतों के बारे में उसका कहना है कि उसके डिटेल में जाने की उसकी सीमाएं हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्र और रक्षा जरूरतों का हवाला देकर पूरे मामले से अपना हाथ खींच लेने की कोशिश की गयी है।

'नोटा' द्वारा मतदाताओं ने बताया कि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीस गढ की विधान सभाओं के लिये हुए हालिया चुनावों में मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या ने 'नोटा' का प्रयोग करके यह बता दिया है कि न भली भाजपा है न कांग्रेस। एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, दोनों को वे खूब अच्छी तरह देख-परख चुके हैं, दोनों ही देश की आम जनता के दुश्मन व पूंजीपतियों के संरक्षक हैं।

सन् 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने वोट डालने वाली मशीन में सबसे नीचे एक अतिरिक्त बटन का प्रावधान किया था जिसके द्वारा मतदाता बता सकता है कि उसे उक्त उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं है, यानी सारे के सारे चोर हैं, जनविरोधी हैं। नोटा अंग्रेजी भाषा के 'नन ऑफ़ दि एबाब' का ही संक्षिप्त उच्चारण है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान में 4,67785 मतदाताओं ने, मध्यप्रदेश में 5,43295 मतदाताओं ने, छत्तीसगढ़ में 2,70730 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग कर दोनों ही बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। इन मतों को प्रतिशत के हिसाब से देखें तो राजस्थान में यह 1.3 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में1.5 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ में 2.1 प्रतिशत रहा।

राजनीतिक दलों के मुंह पर मारा गया यह कोई पहला तमाचा नहीं है। इस से पहले गुजरात चुनावों में भी साढे पांच लाख से अधिक मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग करके उक्त दोनों दलों को उनकी औकात बताई थी। इससे परेशान भाजपा के माई-बाप एवं सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नोटा की आलोचना करते हुये कहा था कि लोकतंत्र ऐसे कैसे चलेगा, आपको पांच उम्मीदवारों में सें कोई पसंद नहीं, लोकतंत्र में उपलब्ध उम्मीदवारों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ को चुनना होता है न कि सभी को नकारना।

सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि मोदी ने गुजरात में मतदान करने को आवश्यक बनाने का प्रयास किया था यानी मतदान न करना भी अपराध होगा। भाजपा एवं संघीयों का बस चले तो ये नोटा को भी हटा दें।

बेशक, इस तथाकथित लोकतंत्र में नोटा एक क्रांतिकारी कदम है परन्तु यह अभी पर्याप्त नहीं है। हां जब नोटा वालों की संख्या पर्याप्त हो जायेगी तो उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करके वास्तविक जनतंत्र का मार्ग खोजना होगा।

तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी को उतने भी वोट नहीं जितने नोटा को

जनज्वार विशेष

कहावत है 'गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे' आज यही कहावत आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि उसे नोटा से भी कम इतने वोट मिले कि ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की आस में केजरीवाल ने दिल्ली पार्टी कार्यकर्ताओं का भी गिराया मनोबल, इस योजना के मास्टर माइंड थे केजरीवाल के प्रिय संजय सिंह, पार्टी में चर्चा तेज कि इस खराब प्रदर्शन का बुरा असर पड़ेगा लोकसभा चुनावों मे।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित पांच राज्यों में अबकी बार आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी थी। कल आए परिणामों में तीनों राज्यों में आप को नोटा से कम वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से आप ने 208 पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। राज्य में आप को मात्र 0.7 प्रतिशत वोट ही मिले, जबकि 1.5 प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा को वोट देना पसंद किया।

आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा की 85 सीटों पर तो तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा की 41 सीटों अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। वहीं राजस्थान में भी 200 सीटों में से 142 सीटों पर आम आदमी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।

इससे दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के अन्य राज्यों में विस्तार करने की कोशिशों और महत्वाकांक्षा को करारा झटका लगा है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि आप द्वारा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित आलोक अग्रवाल को सिर्फ 823 वोट मिले। नर्मदा बचाओ आंदोलन के सदस्य अग्रवाल ने भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा था।

आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा की 85 सीटों पर तो तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा की 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। वहीं राजस्थान में भी 200 सीटों में से 142 सीटों पर आम आदमी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।

इस करारी शिकस्त को पार्टी के अंदरखाने भी मिशन विस्तार के लिये तगड़ा झटका माना जा रहा है। इस बार आप द्वारा तीनों राज्यों की विधानसभाओं में उपस्थिति दर्ज कराने के कयास लगाए जा रहे थे। दिल्ली में मिली बड़ी जीत के बाद पंजाब में भी पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती थीं और मुख्य विपक्षी दल के बतौर सामने आई।

पार्टी सूत्रों का कहना है, राष्ट्रीय पार्टी बनने की आस में केजरीवाल ने दिल्ली पार्टी कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिराया है। इस योजना के मास्टर माइंड दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रिय और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह रहे हैं। पार्टी में यह भी चर्चा तेज है कि इस खराब प्रदर्शन का बुरा असर लोकसभा चुनावों में भी दिखाई देगा।

हालांकि चुनावों में मुंह की खाने के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आलोक अग्रवाल ने यह कहकर खुद को बचाने की कोशिश की कि 'आम आदमी पार्टी ने चुनाव में खुद को बीजेपी और कांग्रेस की तरह पेश नहीं किया था। हम भारी भरकम संसाधनों वाली बीजेपी और कांग्रेस से अपनी तुलना नहीं कर सकते।'

अंदरखाने यह भी चर्चा आम है कि आप ने इन चुनावों में एड़ी—चोटी का जोर लगाया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया, मगर जनता ने आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार दिया।

आप दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय कहते हैं, 'हमारी पार्टी संगठन विस्तार के मकसद से इन चुनावों में उतरी थी और इस मकसद में हम कामयाब हुए हैं। चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि बीजेपी को हराना जनता का लक्ष्य है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आप दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करेगी।'

वहीं पार्टी के तेलंगाना प्रभारी सोमनाथ भारती कहते हैं, आप ने तेलंगाना में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिये उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। इसका मकसद संगठन को मजबूत करना था।

गजब का 'ऐतिहासिक फैसला' दिया है सुप्रीम कोर्ट ने

अरे भाई जब जांच आप के दायरे से बाहर है तो फैसला क्या दिया फैसला पढ़ते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा,

1. 'कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो निर्धारित की गई राफेल कीमत की तुलना करे. हमने मामले की अध्ययन किया, रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत की, हम निर्णय लेने की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं.'

2. कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इस फैसले की जांच नहीं कर सकते कि 126 राफेल की जगह 36 राफेल की डील क्यों की गई. हम सरकार से ये नहीं कह सकते कि आप 126 राफेल खरीदें.

3. जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, 'हम पहले और वर्तमान राफले सौदे के बीच की कीमतों की तुलना करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं.' पीठ ने कहा कि लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश इन विमानों के बगैर नहीं रह सकता है.

कोर्ट ने कहा, 'खरीद, कीमत और ऑफसेट साझेदार के मामले में हस्तक्षेप के लिए उसके पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है.'

अब क्या देश को यह नहीं जानना चाहिए कि कीमत की तुलना अगर आपका काम नहीं तो बंद लिफाफे में कीमत क्यों देखी?

देश को 126 राफेल चाहिए थे,जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल पहले ही क्लियर किया था,देश की यह जरुरत वायुसेना ने पहले ही भेजी थी,फिर 36 ही क्यों? वो भी 2019 तक मिलेंगे,क्यों?

अरे भाई,आप क्या नहीं कर सकते यह बता कर सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में क्या काम किया?

करना ही था तो यह करते कि भाई यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता,आप इसकी जाँच जेपीसी या सीएजी से करा लें,विमान आने दें,अगर दोषी पाया गया तो उस कम्पनी की कुर्की कराएँगे और नेता को जेल होगी।लेकिन आपने तो क्लीन चिट देकर, वर्तमान और आने वाली सरकारों के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता ही साफ़ कर दिया है इस निर्णय से.

लोग भी आँख बंद कर लेंगे अब,जब न्याय की आस ही नहीं रहेगी,पर पैसा तो हम सबका ही फूंकेंगे?और वो भी रक्षा बजट में से? यानि देश के नाम पर देश की रक्षा से ही समझौता?